न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 30-04-2026
सेशन प्रकरण संख्याः 12/23
सी.आई.एस नंबर 62/23
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -505/22 थाना सदर
अंतर्गत धारा - 143, 323 या 323/149, 341, 325 या 325/149, 452 या 452/149, 336 या 336/149, 354 या 354/149, 308 या 308/149 भा.दं.सं.

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी

उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।
-श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता परिवादी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. हारून खान पुत्र स्व0 श्री रमजान खाँन निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज0
2. श्री जमशेद पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी भूराडी थाना सदर जिला अलवर राज0
3. श्री अशरू खान पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी भूराडी थाना सदर जिला अलवर
4. श्री फजरू खान पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज0
5. श्री आसिन खान पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज0
6. श्री इसाक खान पुत्र स्व0 श्री रमजान खांन निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर
7. श्रीमती आजिदा पत्नि श्री आसीन खां निवासी भूराहेडी थाना

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:22:22 +0530

सदर जिला अलवर

8. श्रीमती साहिना पत्नि श्री हारून खां निवासी भूराहेडी थाना सदर जिला अलवर

उपस्थितः-श्री अमजद खान, श्री कयूम खान विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	01.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	02.06.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	16.03.2023
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	20.07.2023
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	05.10.2023
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	30.04.2026
निर्णय की तिथि	30.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	सुशीला	बयान 161 सीआरपीसी व बयान 164 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 2	दीपक	बयान 161 सीआरपीसी, नक्शा मौका
पी डब्ल्यू 3	पप्पूराम	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 4	सचिन	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 5	बिरमा	बयान 161 सीआरपीसी व बयान 164 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 6	राधेश्याम	बयान 161 सीआरपीसी
पी डब्ल्यू 7	डॉ. श्रीराम कडवासरा	एक्स रे रिपोर्ट

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:22:34 +0530

पी डब्ल्यू 8	डॉ.मनोज कुमार शर्मा	मैडिकल रिपोर्ट
पी डब्ल्य 9	डॉ.के0 के0 मीणा	मैडिकल रिपोर्ट
पी डब्ल्यू 10	मनोहरलाल	हालात तफतीश
पी डब्ल्यू 11	सोनू	बयान 161 सीआरपीसी, नक्शा मौका

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति प्रदर्श संख्या
1	प्रदर्श पी–01	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र श्रीमती सुशीला
2	प्रदर्श पी–02, पी 11, पी 30, पी 31, पी 32	बयान 164 सीआरपीसी क्रमशः गवाह श्रीमती सुशीला, बिरमा, चांदनी, रेखा, सुशीला
3	प्रदर्श पी–03	नक्शा मौका घटनास्थल
4	प्रदर्श पी–04,पी 06, पी 08, पी 10, पी 28, पी 29	चोट प्रतिवेदन क्रमशः दीपक, पप्पूराम, सचिन, बिरमा, चांदनी, सोनू
5	प्रदर्श पी–05, पी 07, पी 09, पी 12, पी 15	बयान 161 सीआरपीसी क्रमशः दीपक, पप्पूराम, सचिन, बिरमा, राधेश्याम
6	प्रदर्श पी–13	एफआईआर दर्ज कराने बाबत तहरीर
7	प्रदर्श पी–14	एफआईआर 0505/2022 थाना सदर अलवर

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:22:41 +0530

8	प्रदर्श पी–16 लगायत 21 व 23	मैडिकल रिपोर्ट क्रमशः पप्पूराम, सोनू, दीपक, सचिन, पप्पूराम, सचिन व पप्पूराम
9	प्रदर्श पी–22 व 24	सोनोग्राफी इमेज
10	प्रदर्श पी–25 लगायत पी 28	एक्स रे इमेज क्रमशः पप्पूराम, सोनू, दीपक, सचिन
11	प्रदर्श पी–33	रसीद राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर
12	प्रदर्श पी–34	आदेशिका पुलिस थाना सदर अलवर दिनांक 02.07.2022
13	प्रदर्श पी–35	पर्ची राजीव गांधी सामान्य चिकित्. सालय अलवर
14	प्रदर्श पी–36	रेफरल कार्ड
15	प्रदर्श पी–37 लगायत पी 42	फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी क्रमशः मुलजिमान आसिन खान, फजरू खां, इसाक खां, हारून खां, जमशेद, अशरू,
16	प्रदर्श पी–43 लगायत पी 46	ईत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः मुलजिमान आसिन खान, इशाक खान, हारून खान, जमशेद खान
17	प्रदर्श पी– 47,पी 49, पी 51, पी 53,	फर्द बरामदगी आलाय जर्ब मुता. बिक इत्तला 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः मुलजिम आसिन खान, इशाक खान, हारून खान,जमशेद
18	प्रदर्श पी–48,पी 50, पी 52, पी 54	फर्द बरामदगी नक्शा मौका घटनास्थल समक्ष मुलजिम क्रमशः आसीन खान, इशाक खान, हारून खान, जमशेद

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:22:47 +0530

19	प्रदर्श पी–54	बयान 161 सीआरपीसी सोनू

क.बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
1	बयान 161 सीआरपीसी श्रीमती सुशीला	प्रदर्श डी 1

निर्णय **दिनांक: 30.04.2026**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण हारून, जमशेद, अशरू, फजरू, आसिन खां, इसाक खां, श्रीमती आजिदा, श्रीमती साहिना** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी राधेश्याम ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 इस आशय की दर्ज करायी कि "दिनांक 01.06.22 को करीब रात आठ बजे के आसपास हारून उनके घर में दारू पीकर घुस गया और उसकी बहू चांदनी को पकड लिया । और उसके कपडे फाड दिये और जबरदस्ती करने लगा । चांदनी के शोर मचाने पर उसके भाई पप्पू ने उसे पकडने की कोशिश की तो हारून भागकर अपने घर चला गया । और थोडी देर में ही हारून, जमशेद, असरू, इशाक, आशीन, फजरू, उन्नस, साहिल, राहिल, आरिफ, ये सभी लोग हाथ में लाठी, सरिया, टांच्या व ईंटे लेकर उनके घर के अंदर घुस गये । और घुसते ही मारपीट शुरू कर दी । जमशेद के द्वारा सचिन व पप्पू के सिर में टांच्या की मारी । हारून ने सचिन व पप्पू के सिर पर लाठी मारी । असरू जो कि देशी कट्टा लेकर आया था धमकी दी कि सभी को जान से मार दो तथा असरू द्वारा उसकी बीबी सुशीला के कपडे फाड दिये गये । छाती भींची और बोला कि इनकी औकात बताओ । और उसकी बीबी को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने लगा ।

03. इशाक द्वारा दीपक के पैर पर लाठी से मारा गया । आसीन खां द्वारा सरिये से मारपीट की गयी । जब सोनू ने आसीन को रोकने की कोशिश की तो आसीन ने उसके हाथ पर सरिया से मारा। फजरू ने लाठी से मारपीट की । तथा दीपक को भी लाठी से मारा । उन्नस द्वारा भी लाठी से मारपीट की गयी । से सभी लोग उन्हें मां बहन की गालियां दे रहे थे तथा कह रहे थे कि इन्हें जान से मार दो । इनकी मां बहन उठा लो । साहिल द्वारा ईंटों से मारा गया तथा उसकी बहू

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:22:58 +0530

रेखा के कपडे फाडे और छाती दबाई और जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाने लगा तथा साहिल पुत्र आसीम ने रेखा को खींचने में साहिल की मदद की और ईंट मारी तथा आरिफ द्वारा बिरमा के कपडे फाडकर उनके साथ में छेडछाड की व ईंटो से मारा । जबकि अभियुक्तों के घर की औरतें साहिना पत्नि हारून व आजीदा पत्नि आसीन दोनों उनके घर के गेट पर खडी होकर ईंटो से मार रही थी तथा उनसे जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता तो उनको वह ईंटो से मारती तथा झगडे में पप्पू, सचिन, दीपक को गंभीर चोटें आयी और अन्य लोगों को भी चोटें आयी । पप्पू व सचिन उसी समय बेहोश हो गये थे जिन्हें ईलाज के लिए पहले खैरथल अस्पताल और बाद में अलवर अस्पताल ले गया । उनके घर से चारों ओर अभियुक्तगणों के घर हैं जो आये दिन उनके घर की औरतों को छेडते हैं तथा धमकियां देते हैं कि गांव छोडकर चले जाओ नहीं तो जान से मार देगें । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया....इत्यादि । "

04. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 505/22 थाना सदर में अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 354, 452 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.03.2023 को प्रस्तुत किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 325, 354, 308, 452, 336 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया । सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

05. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण हारून, आसिन, ईशाक, फजरू, अशरू, जमशेद को धारा 143, 323 या 323/149, 341, 325 या 325/149 , 452 या 452/149, 336 या 336/149, 354 या 354/149, 308 या 308/149 भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण आजिदा, साहिना को अपराध अंतर्गत धारा 143, 323 या 323/149, 341, 325 या 325/149 , 452 या 452/149, 336 या 336/149, 308 या 308/149 भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

06. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये । जिसमें

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:06 +0530

अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा । अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया ।

07. इस स्टेज पर दिनांक 01.08.2025 को पक्षकारान की ओर से धारा 323, 341, 325 भा.दं.सं. के तहत राजीनामा पेश किया गया । उक्त राजीनामा केवल परिवादी/मजरूबान राधेश्याम, पप्पूराम, सचिन, दीपक, बिरमा की हद तक स्वीकार किया गया । राजीनामा पृथक से तस्दीक किया गया । इसके पश्चात दिनांक 07.02.2026 को परिवादी/मजरूब सोनू की ओर से धारा 323,341,325 भा.दं.सं. के तहत राजीनामा पेश किया गया । जो पृथक से तस्दीक किया गया । प्रकरण में परिवादी/मजरूब चांदनी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आयी । **अतः आदेशिका दिनांक 01.08.2025 व 07.02.2026 अनुसार अभियुक्तगण को बरूए राजीनामा अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त किया गया ।**

<u>अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 452, 336, 354, 308 भा.दं.सं. के तहत विचारण शेष रहा ।</u>

08. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.06.2022 को स्थान ग्राम बुराडी में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा मजरूबान को उपहति, हमला व सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ साशय घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मजरूबान के घर पर ईंट फेंककर वैयक्तिक क्षेम व मानवजीवन संकटापित किया तथा मजरूबान सचिन, पप्पूराम के सिर पर डंडे से हमला कर उन्हें साशय गंभीर उपहति कारित की । इस कार्य को ऐसे ज्ञान या आशय और ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि इस कार्य से मजरूबान की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते ?

3. क्या अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य होते हुए जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में चांदनी, रेखा, सुशीला, बिरमा के कपडे फाड दिये, छाती भींची, छेडछाड कर उनकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:14 +0530

का प्रयोग किया ?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

09. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की गयी और ना ही किसी महिला के साथ कोई जबरदस्ती की गयी । ना ही कोई छेडछाड की गयी तथा जान से मारने के आशय से कोई चोटें कारित नहीं की गयी । दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा भी हो चुका है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए ।

10. जबकि दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए ।

11. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि **पी डब्लयू 6 परिवादी राधेश्याम** है। जिसने कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 दर्ज करवायी थी । उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। और अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कथन नहीं करता है। और केवल मात्र यह कथन करता है कि उसके द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट थाना सदर में दिनांक 02.06.2022 को पेश की थी। जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिसकी कार्यवाही पुलिस पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिस तहरीर के आधार चाक एफआईआर संख्या 505/22 दर्ज हुई जिसकी पुस्त पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा नक्शा मौका बनाया गया था जो प्रदर्श पी 3 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। वह घटना की तारीख नहीं बता सकता । रात्रि करीब आठ बजे की बात है भीड भडका हो रहा था। रात का समय होने के कारण् यह पता नहीं लग रहा था कि किसने किसके मारा था। पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है । जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा मौका में क्या लिखा उसे पता नहीं । पुलिस में उसके बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 15 है। जिसका ए से बी, सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया ।

12. जिरह में भी उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है और यह उल्लेख करता है कि प्रदर्श पी 13 उसकी कलमी नहीं है। उसने तो उस पर केवल हस्ताक्षर किये

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:20 +0530

थे और अभियुक्तगण ने उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई मारपीट नहीं की । और ना ही कोई लज्जा भंग की है तथा उसके परिवार के सदस्यों के चोटें गिरने पडने से आयी थी ।

13. इस प्रकार प्रकरण में परिवादी पक्षद्रोही घोषित होकर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देता है।

14. प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण **गवाह पी डब्ल्यू 2 दीपक, पी डब्ल्यू 3 पप्पूराम, पी डब्ल्यू 4 सचिन, पी डब्ल्यू 5 श्रीमती विरमा, पी डब्ल्यू 11 सोनू** है। उक्त सभी गवाह प्रकरण में पीडित हैं परन्तु उक्त सभी गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं और अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट के अनुसरण में कोई कथन नहीं करते हैं और केवल मात्र यह कथन करते हैं कि रात्रि करीब आठ बजे भीड भडका हो रहा था । रात का समय होने के कारण पता नहीं लग रहा था कि किसने किसके मारा था ।

15. गवाह पी डब्ल्यू 2 दीपक यह भी कथन करता है कि उसके सामने नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 3 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे । नक्शा मौका में पुलिस ने क्या लिखा उसे पता नहीं । उक्त झगडे में उसके चोटें आयी थी । उसकी चोटों का मैडिकल मुआयना हुआ था। जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके चोटें गिरने पडने से आयी थी ।

16. गवाह पी डबल्यू 3 पप्पूराम यह भी कथन करता है कि उसकी चोटों का मैडिकल मुआयना हुआ था। जो प्रदर्श पी 6 है। जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उक्त चोटें गिरने पडने से आयी थी । पुलिस में उसके बयान प्रदर्श पी 7 हुए थे । गवाह पी डब्ल्यू 4 सचिन यह भी कथन करता है कि उसकी चोटों का मैडिकल मुआयना हुआ था। जो प्रदर्श पी 8 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त चोटें गिरने पडने से आयी थी । पुलिस में उसके बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 9 है।

17. गवाह पी डब्ल्यू 5 श्रीमती विरमा यह भी कथन करती है कि उसकी चोटों का मैडिकल मुआयना हुआ था । जो प्रदर्श पी 10 है। जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उक्त चोटें उसके गिरने पडने से आयी थी । उसके मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 सीआरपीसी के बयान हुए थे । जो प्रदर्श पी 11 है।

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:26 +0530

जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस में उसके बयान हुए थे जो प्रदर्श पी 12 है।

18. गवाह पी डब्ल्यू 11 सोनू यह भी कथन करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर करवाये थे । नक्शा मौका में क्या लिखा है उसे पता नहीं ।

19. जिरह में भी उक्त सभी गवाह कथन करते हैं कि उनके चोटें गिरने पडने से आयी थी । और अभियुक्तगण के द्वारा उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी और ना ही किसी के साथ कोई लज्जा भंग की गयी है।

20. **गवाह पी डब्ल्यू 1 पीडिता श्रीमती सुशीला** है। उक्त गवाह तहरीरी रिपोर्ट के अनुसरण में कथन करती है । उक्त गवाह कथन करती है कि करीब 02 साल पहले 01 तारीख की बात है वह घटना के समय घर मे रोटी बना रही थी। समय करीब 08 बजे शाम का था। हारून उनका पडौसी उनके घर में जबरदस्ती घुस आया और चांदनी के साथ बतमीजी करने लगा व चांदनी को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था उसके कपडे फाड दिये। शोर सुनकर उसके परिवार के लोग निकल कर आये । उसी समय हारून का भाई जमशेद , असरू , आसीन , साहिल , उन्ना , फजरू , और इनके परिवार के सभी लोग जिनमे औरतें आजीदा , साईना भी थी इन सभी ने उनके साथ डन्डों व सरियों व ईंटों से मारपीट की। जमशेद ने सचिन के सिर मे डन्डे की चोट मारी , हारून ने पप्पू के सिर में डन्डे की चोट मारी , आसीन ने सोनू के सरिये की मारी , दीपक के पैरों में लाठी मारी उसको असरू ने पकड लिया और उसकी छाती पर हाथ डाला और उसके कपडे फाड दिये। बाकी लोग भी मारपीट कर रहे थे और ईंट पत्थर फेंक रहे थे।

21. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि झगडे मे रेखा , चांदनी , विरमा , सचिन , सोनू , दीपक व पप्पू के गंभीर चोट आई थी। उसके भी चोट आई थी। उसके परिवार के लोग घायलों को खैरथल अस्पताल लेकर गये । जहां से पप्पूराम व सचिन को खैरथल से अलवर अस्पताल ले जाने के लिये कहा जिस पर उन्होंने उनको अलवर अस्पताल ले आये। घटना की रिपोर्ट उसके पति ने थाने पर दर्ज कराई। उसके न्यायालय मे बयान हुए थे जो प्रदर्श पी-02 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसने न्यायालय मे बयान देते समय उसके व उसके परिवार के साथ हुई घटना के बारे में सारी बात बता दी थी। उसकी

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:33 +0530

चोटों का मैडीकल हुआ था जो प्रदर्श पी-01 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

22. जिरह में उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करती है और यह उल्लेख करती है कि वह घटनास्थल पर घटना के दस मिनट बाद पहुंची थी । तथा अभियुक्तगण व उसके परिवार का एक-दूसरे के घर पर आना जाना रहता है। तथा वह अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे और उसने पुलिस को उसके फटे हुए कपडे नहीं दिये और पुलिस बयानों में भी लज्जा भंग आदि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी ।

23. इस प्रकार उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के विरूद्ध कथन करती है, परन्तु जिरह में पर्याप्त रूप से विरोधाभासी कथन करती है और यह स्पष्ट नहीं कर पाती है कि किस व्यक्ति ने उसके साथ लज्जा भंग की और किसके सा थक्या मारपीट की ।

24. **गवाह पी डब्ल्यू 8 डॉ0 मनोज कुमार शर्मा** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 03.06.2022 को सामान्य चिकित्सालय अलवर मे मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना सदर की तहरीर पर श्रीमति सुशीला पत्नि श्री राधेश्याम के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया था। जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- छाती मे दर्द की शिकायत काई जाहिरा चोट नहीं थी।
चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी-01 है जिस पर एक्स स्थान पर मजरूबा के दांये हाथ की अंगूठा निशानी है व ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

25. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उस दिन उसने दीपक पुत्र श्री पप्पूराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- दाये पैर के पंजे पर सूजन मय टेन्डरनेस थी। राय सुरक्षित रखी एक्सरे की सलाह दी व चोट कुन्द हथियार से कारित थी।
चोट संख्या 02- रगडक 3 से.मी. गुणा 1 से.मी.
बाई अग्रभुजा के उपर चोट साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि एक से दो दिन के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-04 है जिस पर ए से बी दीपक के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद एक्सरे रिर्पोट चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की थी। एक्सरे रिर्पोट प्रदर्श पी-18 है जिस

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:40 +0530

पर ई से एफ उसकी राय है, जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

26. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि सी दिन उसने बिरमा पत्नि श्री पप्पू के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- रगडक 2 से.मी. गुणा 1 से.मी. बाये पैर के उपर आगे की तरफ थी।
चोट साधारण प्रकृति की थी कुन्द हथियार से कारित थी। चोट की अवधि एक से दो दिन के अन्दर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 है जिस पर एक्स स्थान पर बिरमा के दाये हाथ की अंगूठा निशानी है व ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

27. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन उसने श्रीमति चांदनी पत्नि श्री दीपक के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- कमर के बीच में लम्बर भाग पर दर्द की शिकायत थी कोई दिखती हुई चोट नहीं थी।
चोट संख्या 02- बाये पैर मे दर्द की शिकायत थी कोइ दिखती हुई चोट नहीं थी। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी-28 है जिस पर ए से बी चांदनी के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

28. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन उसने सोनू पुत्र झण्डुराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- 3 से.मी गुणा 0.5 से.मी. बाई अग्रभुजा के उपरी हिस्से पर थी। चोट साधारण प्रकृति की थी कुन्द हथियार से कारित थी।
चोट संख्या 02- रगडक 5 से.मी. गुणा 0.5 से.मी बाई अग्रभुजा के बीच के हिस्से मे थी। चोट साधारण प्रकृति की थी कुन्द हथियार से कारित थी।
चोट संख्या 03- सूजन मय टेन्डरनेस बाये हाथ की कलाई के उपर थी। राय सुरक्षित रखी एक्सरे की सलाह दी चोट कुन्द हथियार से कारित थी।
चोट संख्या 04- रगडक 2 से.मी. गुणा 1 से.मी. दाये हाथ की तर्जनी उंगली के उपर थी।
चोट साधारण प्रकृति की थी कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि एक से दो दिन के अन्दर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी-29 है जिस पर ए से बी सोनू के हस्ताक्षर है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बाद एक्सरे रिर्पोट चोट संख्या 03 साधारण प्रकृति की थी। एक्सरे रिर्पोट प्रदर्श पी-17 है जिस पर ई से

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:46 +0530

एफ उसकी राय है तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

29. **गवाह पीडब्ल्यू 09 डॉ के.के.** मीना कथन करता है कि वह दिनांक 04.06.2022 को सामान्य चिकित्सालय अलवर मे मेडिकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यर तथा। उस दिन उसने पुलिस थाना सदर की तहरीर पर मजरूब पप्पूराम पुत्र सिबलाराम का मेडिकल किया था जिसके शरीर पर निम्न चोटे पाई गईः-
चोट संख्या 01- सिर मे दाहिनी तरफ 5 से.मी का टांके लगा हुआ घॉव।
चो**ट संख्या 02-** सिर मे दाहिनी तरफ ही टम्पोरल भाग पर रगडनुमा सूजन।
चोट संख्या 03- दहिनी आंख के चारो तरफ नीलगू।
चोट संख्या 04- दाहिने पैर के घुटने पर खरोंच व सूजन।
चोट संख्या 05- बाये घुटने पर नीलगुनुमा खरोंचे।
चोट संख्या 06- अण्डकोश मे दर्द व सूजन।
चोट संख्या 07- बाये हाथ की कोहनी पर 4 गुणा 2 से.मी. की खरोंच।
चोट संख्या 01 लगायत 07 कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 04,05,07 साधारण प्रकृति की तथा चोट संख्या 01,02,03 की राय एक्सरे रिर्पोट के बाद तथा चोट संख्या 06 की राय सोनोग्राफी रिर्पोट के बाद किया जाना सुरक्षित रखा गया। चोट प्रतिवेदन रिर्पोट प्रदर्श पी-06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर मजरूब की अगूठा निशानी है। कॉलम संख्या 06 में मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। पप्पूराम के एक्सरे रिर्पोट प्रदर्श पी-20 है जिस पर ई से एफ उसकी राय व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसकी राय मे चोट संख्या 01, 02, 03 साधारण प्रकृति की पाई गई। सोनोग्राफी रिर्पोट प्रदर्श पी-23 है जिसके अनुसार सोनोग्राफी रिर्पोट सामान्य पाई गई तथा चोट संख्या 06 साधारण प्रकृति की पाई गई। प्रदर्श पी-21 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच उसकी राय है।

30. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन उसने मजरूब सचिन पुत्र राधेश्याम के शरीर पर आई चोटो का मेडिकल किया था जो निम्न प्रकार हैः-
चोट संख्या 01- सिर में मिडपेराईटल भाग पर 4 से.मी. का टांके लगा घॉव।
चोट संख्या 02- दाहिनी भुजा पर सूजन व नीलगु।
चोट संख्या 03- पेट मे दर्द व तनाव।
चोट संख्या 04- सिर के पिछले हिस्से मे दर्द व तनाव।
चोट संख्या 01 लगायत 04 कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02 व 04 साधारण प्रकृति की तथा चोट संख्या 01 की राय एक्सरे रिर्पोट के बाद व चोट

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:23:53 +0530

संख्या 03 की राय सोनोग्राफी रिर्पोट के बाद दिया जाना सुरक्षित रखा गया। चोट प्रतिवेदन रिर्पोट प्रदर्श पी-08 है जिस पर ए से बी मजरूब के हस्ताक्षर तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। कॉलम संख्या 06 मे मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। सचिन की एक्सरे रिर्पोट प्रदर्श पी-19 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच उसकी राय है। उसकी राय में चोट संख्या 01 साधारण प्रकृति की पाई गई। सचिन की सोनोग्राफी रिर्पोट प्रदर्श पी-21 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच उसकी राय है। उसकी राय में चोट संख्या 03 साधारण प्रकृति की पाई गई।

31. जिरह में उक्त दोनों गवाह कथन करते हैं कि सख्त व खुरदरे धरातल पर गिरने पडने से उक्त चोटें आ सकती है।

32. **गवाह पी डब्ल्यू 7 डॉ0 श्रीराम कडवासरा** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 04.06.22 को सामान्य चिकित्सालय अलवर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उसी दिन मैडीकल ज्यूरिष्ठ डा0 के.के मीना के प्रतिवेदन पर मजरूब पप्पूराम पुत्र सिबलाराम के सिर का एक्सरे कर अवलोकन किया था। राय से पूर्व ईलाज के कागजात हेतु लिखा गया। जो कि प्रदर्श पी-16 है एवं उसके द्वारा ईलाज के कागजात हेतु लिखा जाना ए से बी है एवं सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन बाद ईलाज के कागजात के अवलोकन के मजरूब पप्पूराम के सिर व चेहरे के एक्सरे मे कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया गया। उसकी रिर्पोट प्रदर्श पी-20 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट कवर प्रदर्श पी-25 है जिसमें तीन एक्सरे प्लेट मय उसके हस्ताक्षर शामिल पत्रावली है।

33. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मैडीकल ज्यूरिष्ठ डा0 मनोज कुमार शर्मा के प्रतिवेदन पर मजरूब सोनू पुत्र झन्डूराम के बांये हाथ की कलाई का एक्सरे कर राय दी थी। बाद एक्सरे अवलोकन मजरूब सोनू के बाये हाथ की कलाई के एक्सरे मे कोई अस्थि भंग होना नही पाया गया। उसकी रिर्पोट प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट कवर प्रदर्श पी-26 है जिसमें एक एक्सरे प्लेट मय उसके हस्ताक्षर शामिल पत्रावली है।

34. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मजरूब दीपक पुत्र श्री

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:00 +0530

पप्पूराम की दाहिने पैर का एक्सरे कर राय दी थी। बाद एक्सरे अवलोकन मजरूब दीपक के दाहिने पैर के पंजे की 5 वी मैटाटार्सल अस्थि का अस्थि भंग होना पाया गया। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 है। जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-27 है। जिसमें एक एक्सरे प्लेट मय उसके हस्ताक्षर शामिल पत्रावली है।

35. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मजरूब सचिन पुत्र श्री राधेश्याम के सिर का एक्सरे कर राय दी थी। बाद एक्सरे अवलोकन मजरूब संचिन के सिर के एक्सरे में कोई अस्थि भंग होना नहीं पाया गया। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट कवर प्रदर्श पी-28 है जिसमें दो एक्सरे प्लेट मय उसके हस्ताक्षर शामिल पत्रावली है।

36. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन दिनांक 04.06.22 को डॉ. के.के. मीणा के प्रतिवेदन पर मजरूब सचिन पुत्र श्री राधेश्याम के पेट की सोनोग्राफी कर राय दी थी। बाद सोनोग्राफी उसकी राय में मजरूब सचिन की सोनोग्राफी रिपोर्ट सामान्य प्रकृति की होना पाई गई। सोनाग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 है। जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सोनोग्राफी फिल्म प्रदर्श पी-22 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

37. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मजरूब पप्पू राम पुत्र श्री शिवल्याराम के स्क्रोटम की सोनोग्राफी कर राय दी थी। बाद सोनोग्राफी मजरूब पप्पूराम के स्क्रोटम की सोनोग्राफी जांच सामान्य प्रकृति की थी। सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी-23 है। जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सोनोग्राफी फिल्म प्रदर्श पी-24 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

38. जिरह में उक्त गवाह कथन करता है कि अधिक उंचाई से कठोर धरातल पर गिरने या पडने से ऐसी चोटें आ सकती है।

39. इस प्रकार उक्त तीनों डॉक्टर पीडितों के शरीर पर चोटों की पुष्टि करते हैं। परन्तु उक्त चोटें ऐसी हो जिससे किसी की मृत्यु हो जाए इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देते हैं।

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:07 +0530

40. **गवाह पी डब्ल्यू 10 मनोहरलाल** एएसआई है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 02.06.2022 को पुलिस थाना सदर पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा न. 505/22 धारा 143, 323, 341, 354, 452 आईपीसी में बानाधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे तफतीश दी गई थी। उसके द्वारा प्रकरण में दिनांक 03.06.22 को मजरूबा सुशीला, बिरमा, चांदनी व मजरूब दीपक सोनू का मेडिकल मुआयना सामान्य चिकित्सालय अलवर में करवाया गया । मजरूब दीपक की एम.एल.सी रिपोर्ट प्रदर्श पी-4, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 27 व पप्पूराम की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 व एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 व पी 20 व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 25 व भर्ती टिकिट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-33 व सोनाग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी 23 व प्लेट प्रदर्श पी 24 है।

41. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि सचिन की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 व एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 28 व सोनाग्राफी रिपोर्ट प्रदर्श पी-21 व प्लेट प्रदर्श पी-22 है। विरमा की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। व चांदनी की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-28 व सोनू की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 29 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 व एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी-26 को प्राप्त कर उसके द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 03.06.22 को नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-03 उसके द्वारा तैयार किया गया । जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है व ई से एक उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर हालात नक्शा मौका जी से एच है। जिस पर ई से एक उसके हस्ताक्षर है।

42. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन गवाहान श्री राधेश्याम, दीपक, बिरमा, बांदनी, सुशीला, सोनू, रेखा, कमलेश के बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मजरूबा बिरमा के बयान धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-11 न्यायालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये तथा मजरूबा चांदनी के बयान प्रदर्श पी-30 एवं मजरूब रेशा उर्फ रेखा के बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-31 एवं मजरूबा सुशीला के बयान धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी-32 को न्यायालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

43. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मजरुबा चांदनी रेखा, विरमा सुशीला के बयान धारा 164 सीआरपीसी न्यायालय में करवाये जिसकी न्यायालय

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:17 +0530

आदेशिका प्रदर्श पी-34 है । जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब पप्पूराम की ईलाज पर्ची प्रदर्श पी-35 व भती टिकिट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-36 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। उसी दिन मजरूब पप्पूराम व संचिन के बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये।

44. उक्त् गवाह यह भी कथन करता है कि मजरूब पप्पूराम, सोनू, दीपक, सचिन के आई चोटों के बारे में मेडिकल ज्यूरिष्ठ से राय प्राप्त कर एक्सरे रिपोर्ट व एक्सरे प्लेट शामिल पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान मुलजिम आसीन खां को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी-37 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी व सी से ही गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। मुलजिम ईशाक खा को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी-39 उसके द्वारा तैयार की । जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है तथा व्हाई स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है।

45. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम फजरू खां को गिरफतार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-38 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चश्पा है तथा वाई स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम हारून खां को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-40 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान व ई से एक मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है।

46. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम जमशेद खां को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-41 उसके द्वारा तैयार की गयी । जिस पर ए से बी व सी से की गवाहान व ई से एक मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। मुलजिम असरू खां को गिरफतार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-42 उसके द्वारा तैयार की जिस पर ए से वी व सी से डी गवाहान व ई से एक मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चश्पा है।

47. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि गिरफ्तारशुदा मुलजिम हारून के द्वारा दिनांक 08.06.22 को अपनी स्वेच्छा से आईओं को इताला दी कि उसने जिस

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:23 +0530

डण्डा से पप्पूराम के सिर में मारी वह उसके मकान के कमरे में छिपा रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। जिसे उसके द्वारा मुलजिम के कथनानुसार फर्द इत्तला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम तैयार की जो प्रदर्श पी- 45 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम के द्वारा दी गई इत्तला से उसके कमरे के अन्दर से बॉस की लाठी निकाल कर पेश करने पर उसके द्वारा बरामद कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-51 तैयार की जिस पर ए से बी सी से ही गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-52 उसके द्वारा तैयार किया गया। जिस पर भी ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

48. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम जमशेद के द्वारा दिनांक 08.06.22 को अपनी स्वेच्छा से आईओ को इत्तला दी कि उसने जिस डण्डे से सचिन के सिर में मारी वह उसके मकान के कमरे में छिपा रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। जिसे उसके द्वारा मुलजिम के कथनानुसार फर्द इत्तला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम तैयार की जो प्रदर्श पी- 46 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम के द्वारा दी गई इत्तला से उसके कमरे के अन्दर से एक बॉस की लाठी निकाल कर पेश करने पर उसके द्वारा बरामद कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-53 तैयार की । जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल नक्शा मीका प्रदर्श पी-54 उसके द्वारा तैयार किया गया। जिस पर भी ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एक मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

49. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि मुलजिम आसीन के द्वारा दिनांक 11.09.22 को अपनी स्वेच्छा से आईओ को इत्तला दी कि उसने जिस सरिया से सोनू के हाथ में मारी वह उसके मकान के कमरे में छिपा रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। जिसे उसके द्वारा मुलजिम के कथनानुसार फर्द इत्तला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम तैयार की जो प्रदर्श पी 43 है। जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम के द्वारा दी गई इत्तला से उसके कमरे के अन्दर से एक लोहे सरिया निकाल कर पेश करने पर उसके द्वारा बरामद कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-47 तैयार की जिस पर ए से बी सी से डी

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:34 +0530

गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-48 उसके द्वारा तैयार किया गया। जिस पर भी ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी पुश्त पर आई से जे हालात मौका व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

50. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उसी दिन मुलजिम इशाक के द्वारा अपनी स्वेच्छा से आई ओ को इत्तला दी कि उसने जिस लाठी से दीपक के पैर में मारी वह उसके कमरे में छिपा रखी है जिसको वह चलकर बरामद करा सकता है । जिसे उसके द्वारा मुलजिम के कथनानुसार फर्द इत्तला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम तैयार की जो प्रदर्श पी- 44 है। जिस पर ए से बी उसके तथा एक्स स्थान पर मुलजिम की अंगूठा निशानी है। मुलजिम के द्वारा दी गई इत्तला से उसके कमरे के अन्दर से एक लाठी निकाल कर पेश करने पर उसके द्वारा बरामद कर कर्द बरामदगी प्रदर्श पी-49 तैयार की जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके व एक्स स्थान मुलजिम के अंगूठा निशानी है। बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-50 उसके द्वारा तैयार किया गया। जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान मुलजिम के अंगूठा निशानी है। जिसकी पुश्त पर जी से एच हालात मौका व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

51. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि संपूर्ण तफतीश व दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहान के बयान से मुलजिमान हारून, जमेशद, असरू, ईशाक, फजरू, आसीन पुत्र स्व०श्री रमजान निवासी भूराडी व मुलजिमा साहिना पत्नी हारून, आजीदा पत्नी श्री आसीन खान निवासीयान भुराडी के विरुद्ध जर्म धारा 143, 323, 341, 325, 308, 354, 452 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी को सुपर्द की गई। थानाधिकारी के द्वारा उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त मुलजिमान हारून, जमेशद, असरू, ईशाक, फजरू, आसीन पुत्र स्व. श्री रमजान निवासी भूराडी व मुलजिमा साहिना पत्नी हारून आजीदा पत्नी श्री आसीन खान निवासियान मराठी के विरूद्ध जुर्म धारा 143, 323, 341, 325, 308, 354, 452 आईपीसी में चार्जशीट नं. 677 दिनाक 22.10.2022 किता कर चालान पेश न्यायालय किया गया। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी थानाधिकारी दिनेश मीणा के हस्ताक्षर है। जिसके अधीनस्थ कार्य किये जाने के कारण वह उनके हस्ताक्षरों को पहचानता है ।

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:43 +0530

52. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि किसी भी दस्तावेज पर स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि किसी भी दस्तावेज पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं करवये हैं तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि पुलिस भी एक सक्षम साक्षी है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **गिरिजा प्रसाद v/s मध्यप्रदेश राज्य (2007) 7 s.c.c. 625** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "पुलिसकर्मी उतने ही विश्वसनीय साक्षी हैं जितने कि अन्य साक्षीगण । पुलिस कर्मियो की साक्ष्य को इस आधार पर खारिज नही किया जा सकता है कि वे पुलिसकर्मी हैं।"

53. प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह परिवादी व पीडित पक्षद्रोही घोषित हुए हैं । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य धारा 341, 323, 325 भा.दं.सं. के तहत राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लज्जा भंग करने व मारपीट करने के संबंध कोई साक्ष्य नहीं है।

54. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 01.06.2022 को स्थान ग्राम बुराडी में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर मजरूबान को उपहति, हमला व सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ साशय घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया हो तथा मजरूबान सचिन, पप्पूराम के सिर पर डंडे से हमला कर उन्हें साशय गंभीर उपहति कारित की हो तथा इस कार्य को ऐसे ज्ञान या आशय और ऐसी परिस्थितियों में किया हो कि यदि इस कार्य से मजरूबान की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते ।

तथा अभियोजन साक्ष्य से यह भी साबित नहीं हो सका है कि अभियुक्तगण ने मजरूबान चांदनी, रेखा, सुशीला, बिरमा के कपडे फाडकर उनकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया हो ।

अतः अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

55. अतः **अभियुक्तगण 1. हारून खान** पुत्र स्व0 श्री रमजान खाँन निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज. **2. श्री जमशेद** पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी भूराडी थाना सदर जिला अलवर राज. **3. श्री अशरू खान** पुत्र स्व0 श्री

Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:51 +0530

रमजान निवासी भूराडी थाना सदर जिला अलवर **4. श्री फजरू खान** पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज.**5.श्री आसिन खान** पुत्र स्व0 श्री रमजान निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर राज. **6. श्री इसाक खान** पुत्र स्व0 श्री रमजान खांन निवासी बुराडी थाना सदर जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 143, 452/149, 336/149, 354/149, 308/149 भा०दं०सं० तथा अभियुक्तगण **7. श्रीमती आजिदा** पत्नि श्री आसीन खां निवासी भूराहेडी थाना सदर जिला अलवर **8. श्रीमती साहिना** पत्नि श्री हारून खां निवासी भूराहेडी थाना सदर जिला अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 143, 452/149, 336/149, 308/149 भा०दं०सं० के तहत **साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाता है।

56. **अभियुक्तगण हारून, जमशेद, अशरू खांन, फजरू खांन, आसिन, इसाक, श्रीमती आजिदा, श्रीमती साहिना को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/149, 325/149 भा.दं.सं. के तहत आदेशिका दिनांक 01.08.2025 व 07.02.2026 के तहत बरूए राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।**

57. अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

58. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे का सरिया, बांस की लाठी बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किये जावे ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

59. निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

DEEPA JOSHI
Authenticated Document
Digitally signed by DEEPA JOSHI
Date: 2026.04.30 12:24:59 +0530